



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : बस्ती, जनपद : बस्ती, तहसील : भानपुर

वाद संख्या :- 00239/2019

कंप्यूटीकृत वाद संख्या :- T201917140200239

एन०सी०एम०एल० बस्ती प्रा० लि० बनारस सरकार

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ग्राम कैथोलिया तप्पा शिवपुर परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती।

निर्णय

प्रस्तुत वाद एन०सी०एम०एल० बस्ती प्रा० लि० द्वारा सुनील चौरसिया प्रोजेक्ट मैनेजर निवासी/पता पंजीकृत कार्यालय इपको टावर-1 विंग बी० पांचवी मंजिल प्लॉट संख्या-3 सेक्टर नम्बर-29 गुडगांव हरियाणा द्वारा अपनी भूमिधरी आरांजी खाता संख्या-15 के गाटा संख्या-10/0.084हे०, खाता संख्या-22 रक्बा 0.164हे० के गाटा संख्या-11/0.083हे०, कुल रक्बा 0.167हे० स्थित ग्राम कैथोलिया तप्पा शिवपुर परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती की अकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किये जाने का अनुरोध करते हुए उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-80 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण की जांच तहसीलदार भानपुर से करायी गयी। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार भानपुर की आख्या दिनांक 21.02.2019 संस्तुति सहित अप्रसारित किया गया है तथा मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया। ग्राम कैथोलिया तप्पा शिवपुर परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती के खाता संख्या-15 के गाटा संख्या-10/0.084हे०, खाता संख्या-22 के गाटा संख्या-11/0.083हे०, कुल रक्बा 0.164हे० भूमि पर वादी द्वारा भारत सरकार के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (F.C.I.) का साइलोज (Silos) (आधुनिक अनाज भण्डार) का निर्माण करायी जा रहा है तथा विवादित आरांजी के चारो तरफ स्टील के पिलर पर बारबिड वायरों से चहरदीवारी का निर्माण कार्य करायी गया है, एवं कार्यालय मुख्य परिचालन प्रबन्धक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा अपने पत्र संख्या-T/555/216/NCML/TCH दिनांक 28.06.2017 द्वारा इस आशय का फ्रेट टर्मिनल (Freight Terminal) बनाने हेतु अनुमति पत्र दिया गया है, जिससे आधुनिक अनाज भण्डार में मालवाहक ट्रेनों का आवागमन सुचारु रूप से हो सके। वादी द्वारा विवादित आरांजियात का अकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) रूप में प्रयोग में किया जा रहा है। उक्त गाटों में कुक्कुट अथवा मत्स्य पालन बारावानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। वादी द्वारा विवादित आरांजी के सम्बन्ध में फोटो संलग्न किया गया है।

वादी द्वारा आकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन घोषित कराने के सम्बन्ध में आवश्यक ट्रेजरी चालान संख्या-CG-76204 धनराशि रू० 50,100/- (पचास हजार एक सौ रूपया मात्र) नियमानुसार जमा कोष में जमा किया गया है, जो संलग्न पत्रावली है। पत्रावली पर उपलब्ध आख्या निर्धारित प्रारूप पर संलग्न है। तहसीलदार की आख्यानुसार विवादित आरांजी खूबता संख्या-15 के गाटा संख्या-10/0.084हे०, खाता संख्या-22 के गाटा संख्या-11/0.083हे०, 0.167हे० भूमि पर वादी द्वारा बतौर आकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है, तथा शासकीय कार्य हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (F.C.I.) का साइलोज (Silos) (आधुनिक अनाज भण्डार) का निर्माण करायी जा रहा है, जिससे वर्तमान में हो रहे उपयोग के अनुसार राजस्व अभिलेख में आकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम कैथोलिया तप्पा शिवपुर परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती के खाता संख्या-15 के गाटा संख्या-10/0.084हे०, व खाता संख्या-22 के गाटा संख्या-11/0.083हे०, कुल रक्बा 0.167हे० भूमि को वादी एन०सी०एम०एल० बस्ती प्रा० लि० द्वारा सुनील चौरसिया पता/निवासी पंजीकृत कार्यालय इपको टावर-1 विंग बी० पांचवी मंजिल प्लॉट संख्या-3 सेक्टर नम्बर-29 गुडगांव हरियाणा के नाम आकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए लगान से मुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति उपनिबन्धक भानपुर को प्रेषित की जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अनुपालन आदेश पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक ०३ अप्रैल, 2019

सत्य प्रतिलिपि

माल अहलमद
न्यायालय उप जिलाधिकारी
तहसील-भानपुर
05-4-19

भारत का दिनांक 04.4.19

तेयारा का दिनांक 05.4.19

धारा करवे का दिनांक 05.4.19

(राजेश सिंह)

उप जिलाधिकारी,
भानपुर।

सुनील चौरसिया - दायाल
तुलनाकाफि - 05.4.19

सवाल नम्बर- 141
शीट- 01
फ़ीस- 7-00
शब्द- 322

न्यायालय उप जिलाधिकारी भानपुर, जनपद-बस्ती।

नम्बर मुकदमा- T2019/7140200239
धारा- धारा- 80 उपरोक्त संहिता 2006
रज.सी.एम.एच.एल.सी.जा. रजि. बनाम सरकार
मौजा- कैलासपुर, तप्पा खिबपुर परगना एल.सी.पुर
तहसील-भानपुर, जिला-बस्ती।
तारीख फ़ैसला:- 03-4-19
नकल- उपाय विनांक 03-4-19 की आपत्तिते प्रकाशित।



2/00
05-4-19